न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
20 / 2025	11.02.2025	04.07.2025

बउनवान

1. राजबीर सिंह
2. सुखबीर सिंह
3. महावीर प्रसाद
4. जगबीर सिंह पुत्रान श्री रघुवीर सिंह माता श्रीमती स्व0 श्री गिन्दोडी देवी निवासीयान भैयारामपुर भंडगी तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
5. रणबीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह माता श्रीमती स्व0 श्री गिन्दोडी देवी निवासी भैयरामपुर भंडगी तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा हाल निवासी एच नम्बर 228 सैक्टर नम्बर 4 रोहतक हरियाणा।
6. निर्मला देवी पत्नी नरेश कुमार पुत्री रघुवीर सिंह माता स्व0 गिन्दोडी देवी निवासी भैयरामपुर भंडगी तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाण हाल निवासी हाल F- 34 Katawariya Sarir Hauvz Khas South West Dehil

:– प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 2 / 0.01 हैक0, 3 / 1.41 हैक0, 50 / 0.23 हैक0, 51 / 0.23 हैक0, 183 / 2.11 हैक0, 184 / 0.28 हैक0, 181 / 0.09 हैक0, 26 / 0.50 हैक0, 41 / 0.25 हैक0, 42 / 0.14 हैक०, वाके ग्राम नागल रानिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में हो रहा प्रार्थीगण की माता के नाम दुरूस्ती बाबत विवाद है जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि उक्त आराजी में मिन प्रार्थीगण के हक हकूक कानूनन निहित है मिन प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण को अपनी माता स्व० श्रीमती गिन्दोडी देवी से विरासत में प्राप्त हुयी है क्योंकि मिन प्रार्थीगण के नाना के कोई औलाद लडका नहीं था मिन प्रार्थीगण की माता व एक अन्य बहिन ही केवल मात्र वारिस थे जिस कारण उक्त आराजी मिन प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

की माता को विरासत में प्राप्त हुयी थी और मिन प्रार्थीगण की माता की फौतगी के बाद उक्त आराजी मिन प्रार्थीगण को प्राप्त हुयी है।

4. यह है कि मिन प्रार्थीगण ने विरासत दर्ज कराते समय पटवारी हल्का को विरासत इंतकाल दर्ज करवाने के लिये समस्त दस्तावेजात दे दिये थे लेकिन पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण का विरासत इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीगण की माता के दादा का नाम रामनारायण दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण की माता का नाम गिन्दोडी देवी दर्ज होना चाहिये था जिसकी मिन प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी अब दिनांक 05/01/2025 को पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड की फाईल तैयार कराने बाबत सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकोर्ड एवं प्रार्थीगण के पहचान के दस्तावेजात का निरिक्षण करते हुये बताया कि श आपको क्रेडिट कार्ड का ऋण नहीं मिल सकेगा क्योंकि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज आपकी माता के दादा का नाम दर्ज हो रहा है तथा आपके नाम व पहचान के दस्तावेजात में दर्ज नाम मेल नहीं खाते है इसलिये राजस्व रिकोर्ड को दुरुस्त कराना होगा इसलिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर समस्या से अवगत कराया व राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रार्थीगण की माता के दादा का नाम को शुद्धी पत्र के जरिये दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने स्वंय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने व अदालत से आदेश कराने की बात कहते हुये प्रार्थीगण का नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया इसलिये अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

5. यह है कि प्रार्थीगण की माता के दादा का नाम राजस्व रिकोर्ड में रामनारायण दर्ज रहने से प्रार्थीगण आराजी में प्राप्त समस्त अधिकारों केडिट कार्ड के ऋण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विकय, विनिमय, हिब्बा आदी सुविधाओं के लाभ से वंचित रह रहे है। जबकि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के बाबत कोई विवाद नहीं है। प्राथर्थीगण राजस्व रिकोर्ड एवं मौके के अनुसार रिकोर्डस खातेदार काबिज काश्तकार है।

6. यह है कि प्रार्थीगण के पहचान के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, शिक्षा के दस्तावेज, पैन कार्ड, आदी सभी में पिता का नाम रघुबीरसिंह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थीगण के पिता के नाम के स्थान पर माता के दादा का नाम अपभ्रंश दर्ज हो रहा है। जिसे मिन प्रार्थीगण दुरूस्त कराकर अपनी माता का नाम गिन्दोडी देवी, दर्ज कराना चाहते है। जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

7. यह है कि उक्त विवादित आराजी में दर्ज गलत नाम को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कई बार मौखिक और लिखित निवेदन किया था लेकिन दिनांक 05/01/2025 को अप्रार्थी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अदालत से आदेश लेकर आओ बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

8. यह है कि मिन प्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड में अपनी माता के दादा के नाम रामनारायण को शुद्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थीगण किसी दीगर खातेदार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। राजस्व

उपखण्ड अधिकारी

रिकोर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्वीपत्र के जरिये शुद्ध कराने के लिये आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख0 नं0 हाल 2/0.01 है0, 3/1.41 है0, 50/0.23 है0 51/0.23 है0 183/2.11 है0, 184/0.28 है0, 181/0.09 है0, 26/0.50 है0, 41/0.25 है0, 42/0.14 है0, वाके ग्राम नागंल रानिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रार्थीगण के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर माता स्व0 श्री गिन्दोडी देवी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार से है –:

1. मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी उलाहेडी ग्राम नागलरानिया नामांतरण सं. 495 से गिन्दोडी की विरासत दर्ज की गई लेकिन हाल रिकॉर्ड में वारिसान रणवीर सिंह, महावीर प्रसाद, जगवीरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रान व निर्मला देवी पुत्री रामनारायण दर्ज हो गया। अतः वारिसान रणवीर सिंह, महावीर प्रसाद, जगवीरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रान व निर्मला देवी पुत्री की वल्दियत रामनारायण के स्थान पर गिन्दोडी किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन जमाबन्दी सम्वत 2072–75, बैक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, शपथ पत्र छोटेलाल, अंक तालिका की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि आराजी ख0 नं0 हाल 2/0.01 है0, 3/1.41 है0, 50/0.23 है0, 51/0.23 है0, 183/2.11 है0, 184/0.28 है0, 181/0.09 है0, 26/0.50 है0, 41/0.25 है0, 42/0.14 है0, वाके ग्राम नागल रानिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण को अपनी माता स्व0 श्रीमती गिन्दोडी देवी से विरासत में प्राप्त हुयी है क्योंकि मिन प्रार्थीगण के नाना के कोई औलाद लडका नहीं था मिन प्रार्थीगण की माता व एक अन्य बहिन ही केवल मात्र वारिस थे जिस कारण उक्त आराजी मिन प्रार्थीगण की माता को विरासत में प्राप्त हुयी थी और मिन प्रार्थीगण की माता की फौतगी के बाद उक्त आराजी मिन प्रार्थीगण को प्राप्त हुयी है। मिन प्रार्थीगण ने विरासत दर्ज कराते समय पटवारी हल्का को विरासत इंतकाल दर्ज करवाने के लिये समस्त दस्तावेजात दे दिये थे लेकिन पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण का विरासत इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थीगण की माता के दादा का नाम रामनारायण दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण की माता का नाम गिन्दोडी देवी दर्ज होना चाहिये था। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी वारिसान रणवीर सिंह, महावीर प्रसाद, जगवीरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रान व निर्मला देवी पुत्री की वल्दियत रामनारायण के स्थान पर गिन्दोडी किया जाना उचित माना है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मुताबिक प्रार्थना पत्र राजस्व रिकोर्ड में अमल दरादम किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तोवजात व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर विवचेन इस प्रकार है कि तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट के अनुसार वारिसान रणवीर सिंह, महावीर प्रसाद, जगवीरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रान व निर्मला देवी पुत्री की वल्दियत रामनारायण के स्थान पर गिन्दोडी किया जाना उचित है। तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट के अनुसर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी ख0 नं0 हाल 02/0.01 है0, 3/1.41 है0, 50/0.23 है0, 51/0.23 है0, 183/2.11 है0, 184/0.28 है0, 181/0.09 है0, 26/0.50 है0, 41/0.25 है0, 42/0.14 है0 वाके ग्राम नागल रानिया तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में प्रार्थीगण की वल्दियत रामनारायण के स्थान पर माता स्व0 श्रीमती गिन्दोडी देवी राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0